न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—40/2020

1. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्रीचन्द जाति जाट उम्र 48 वर्ष निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुझनूं (राज.)

—— प्रार्थी

बनाम्

1. शान्तिदेवी पत्नी स्व. श्रीचन्द जाति जाट उम्र 82 वर्ष निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुझनूं (राज.)
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्रीचन्द जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुझनूं (राज.)
3. परमेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्रीचन्द जाति जाट उम्र 52 वर्ष निवासी श्यामपुरा तहसील बुहाना जिला झुझनूं (राज.)
4. सुशीला पत्नी रामकरण पुत्री स्व. श्रीचन्द जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी कैनाल रेस्ट हाउस के पीछे नारनोल(हरियाणा)
5. उप पंजीयक, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर
6. स्टेट ऑफ राज. जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

वकील—

1. श्री पुरूषोतम आहुजा एडवोकेट — प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुशील गोदारा एडवोकेट — अप्रार्थी संख्या 01एवं 02 की ओर से
3. श्री पवन चुघ एडवोकेट — अप्रार्थी संख्या 03एवं 04 की ओर से

::निर्णयः: **दिनांक 04.01.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि चक 5 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—13 पत्थर सं.—120/27 का किला नम्बर 1/2 का 0.227, 02ता09 प्रत्येक सालम, 10/2 का 0.227, 11/2 का 0.228, 12ता19 प्रत्येक सालम, 20/2 का 0.228, 21/3 का 0.177, 22/2 का 0.202, 23/2 का 0.202, 24/2 का 0.203, 25/2 का 0.203 हैक्टर कुल 5.945 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं.—01 के नाम दर्ज है। आयंदा उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जायेगा। जमाबंदी की चित्रप्रति सलंग्न है। प्रार्थी का पिता स्व. श्रीचन्द भारतीय फौज में नायब सुबेदार युनिट नम्बर जेसी 50269 के पद पर तैनात था और सन् 1971—72 की भारत पाक युद्ध में शहीद हो गये थे उसके उपरांत राजस्थान सरकार ने राजस्थान विकलांग सैनिक एवं वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को विशेष सहायता (भूमि आवंटन) नियम 1962 के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में प्रार्थी की माता अप्रार्थी सं—01 का शहीद श्रीचन्द की पत्नी एवं आश्रितों के नाते उपरोक्त कृषि भूमि दिनांक 01.09.1972 को आवंटन की गई थी। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.—1 के नाम से वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के रूप में आवंटन शुदा कृषि भूमि है, जो कि वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के परिवार

के भरण–पोषण के लिए शहीद की विधवा एवं परिवार की मुखियाकर्ता होने के नाते अप्रार्थी सं.–1 को आवंटन की गई थी। इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी परिवार की कृषि भूमि है। जिसमे प्रार्थी का शुरू से हित निहित है। अप्रार्थी सं.–1 के द्वारा वीरगति प्राप्त सैनिको के आश्रितों को भूमि आवंटन करवाने के लिए सक्षम आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया इस आवेदन पत्र के साथ हल्फनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी सं.–1 ने यह अंकित करवाया कि मैं वीरगति को प्राप्त सैनिक श्रीचन्द की पत्नी होकर जायज वारिस हूँ तथा इकरार करती हूँ कि मैं उक्त सैनिक के आश्रितों का भरण–पोषण करती रहूंगी। तत्पश्चात अप्रार्थी सं.–01 को सरकार द्वारा वीरगति प्राप्त को प्राप्त स्व. श्रीचन्द के परिवार के भरण–पोषण हेतु विवादित कृषि भूमि का आवंटन दिनांक–01.09.1972 को किया गया इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–01 को वीरगति में प्राप्त सैनिको के आश्रितों के रूप में परिवार का मुखिया होने के नाते पुख्ता आवंटित हुई है, जिसमें प्रार्थी का आवंटन के रोज से ही हक व हिस्सा निहित है। आवंटन हेतु प्रस्तुत हल्फनामा व आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न प्रार्थना पत्र है। आवंटन के रोज से ही प्रार्थी अप्रार्थी सं–01 के साथ उक्त विवादित कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा प्रार्थी व परिवार द्वारा उक्त कृषि भूमि में अपने अथक परिश्रम से उक्त कृषि भूमि का काश्त योग्य बनाया क्योंकि उक्त कृषि भूमि वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों/परिवार के भरण–पोषण के लिए अप्रार्थी सं.–01 को परिवार का मुखियाकर्ता होने के नाते मात्र आवंटन हुई थी इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1ता4 के संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति है जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा बनता है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि की अर्जित आय से प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1ता4 का जीवन यापन एवं भरण पोषण होता आ रहा है जो प्रार्थी के संयुक्त अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1ता4 शहीद श्री चन्द के आश्रित एवं प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है उक्त विवादित भूमि ही परिवार की आजीविका का एक मात्र साधन है तथा जिससे प्रार्थी अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अप्रार्थी सं.–01 जो कि अब काफी वृद्ध हो चुकी है अप्रार्थी सं.–1 की वृद्धावस्था का वेजा फायदा उठाकर परिवार के अन्य सदस्यों ने अप्रार्थी सं.–01 को अपने अनुचित प्रभाव में ले रखा है।चूंकि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–01 को मात्र परिवार का मुखियाकर्ता होने के नाते एवं वीरगति में प्राप्त सैनिको के आश्रितों के भरण पोषण के लिए आवंटन हुई थी लेकिन अप्रार्थी सं.–1 परिवार की इस कृषि भूमि को बैचान करने में सक्षम नहीं है और ना ही कानूनन अप्रार्थी सं.–1 परिवार की सम्पति को बैचान कर सकती है। अप्रार्थी सं.–01 जो कि वृद्धावस्था की ओर अग्रसर है जो कि परिवार के अन्य सदस्यों के अत्याधिक प्रभाव व दवाब में है तथा विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। चूंकि प्रार्थी परिवार से अलग रहता है और परिवार के सदस्य प्रार्थी को कोई हिस्सा नहीं देना चाहते है अब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि परिवार के वे ही लोग अब अप्रार्थी सं.–1 के

नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होने का फायदा उठाकर अप्रार्थी सं.–01 से उसकी उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करवाने एवं अपने नाम के करवाने पर उतारू है व विवादित भूमि को अन्यत्र हस्तांतरित, रहन बैचान करवाने के प्रयासरत है। उक्त विवादित भूमि ही वीरगति को प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के रूप में परिवार की आजीविका निर्वाह का साधन है अगर अप्रार्थी सं.–01 विवादित भूमि का रहन, बेचान अन्यत्र कर खुर्द बुर्द करने में कामयाब हो गयी तो इससे प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पूर्ति मुदा की एवज में नहीं सकेगी। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुशील गोदारा ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो रिकॉर्ड के तथ्य है अप्रार्थी सं. –1 उक्त कृषि भूमि की खातेदार कृषक है प्रश्नगत भूमि के संबंध में अप्रार्थी सं.–01 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त है इस धारा के अनुसार हिन्दू नारी को अपने कब्जा में की कोई भी सम्पति चाहे वह इस अधिनियम के प्रावधान से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर वारिस का कोई हक अधिकार प्रश्नगत भूमि में नहीं बनता है अप्रार्थी सं.–1 के किसी भी वारिस का कोई हक अधिकार प्रश्नगत भूमि में नही बनता है अप्रार्थी सं.–1 उक्त भूमि को अपने जीवनकाल में उपयोग, उपभोग,रहन बैय व हस्तांतरण करने की हर प्रकार की विधिक अधिकारी है। इन अधिकारों को उसके जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार से वंचित नही किया जा सकता तथा ना ही इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। प्रार्थी को अपने पिता शहीद श्रीचन्द के भारत पाक युद्ध में शहीद होने के नाते परिवार की सहमति से उनके स्थान पर नौकरी प्राप्त हुई है तथा राज्य सरकार द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त है। इसलिए प्रार्थी उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नही रहा है व अप्रार्थी सं.–1 के जीवनकाल में प्रश्नगत भूमि मे हक व हिस्सा प्राप्त नही कर सकता। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि अप्रार्थी सं.–1 को राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि है जिस पर किसी भी प्रकार का घोषणात्मक दावा लाने का अधिकार अप्रार्थी सं.–1 के वारिसान को कानूनन प्राप्त नहीं है। आवंटन के पश्चात लगातार अप्रार्थी सं.–1 के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में चली आ रही है समस्त राजस्व कर एवं सिंचाई कर अप्रार्थी सं.–1 अदा करती आ रही है। प्रार्थी शुरू से ही झगडालू किस्म का है जो हर समय अप्रार्थी सं.1 के साथ झगड़ा करता रहता है। प्रार्थी अपनी पत्नी रजनी के साथ मिलकर अप्रार्थी सं.1 से झगड़ा फसाद व मारपीट करते थे जिसकी प्रथम सूचना प्रतिवेदन अप्रार्थी सं.–1 ने पुलिस थाना बुहाना में दर्ज करवायी थी। जिसे पुलिस ने जांच में सही पाया

जाने पर प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जो आज भी विचारण में है। अप्रार्थी सं.–1 ने अपने जीवनकाल में अपनी संतानों को बेहतरीन शिक्षा दिलाने व उनके लालन पालन के लिए बहुत सारा कर्जा लेकर उनको पैरो पर खडे होने के लायक बनाया है तथा प्रार्थी स्वयं को शहीद कोटे में परिवार की सहमति से राजकीय सेवा में नियुक्ति मिली है। इसके बावजूद भी वह स्वयं को आश्रित होना अंकित कर रखा है। तथा अप्रार्थी सं.–1 से रोज मारपीट करता रहता है तथा उसका जीना हराम कर रखा है जिसकी एफ आई आर भी अप्रार्थीया ने करवाई है तथा इसके दुर्व्यवहार के कारण व उसकी इन्ही हरकतों से दुखी होकर अप्रार्थी सं.–1 ने प्रार्थी व उसकी पत्नी रजनी को अपनी समस्त सम्पति से बेदखल कर दिया था और जिसकी सूचना भी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी थी तत्पश्चात प्रार्थी अप्रार्थी सं.–1 की उक्त प्रश्नगत भूमि में व हर प्रकार से अप्रार्थी सं.–1 की उक्त प्रश्नगत भूमि में व उसके उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी पैदा करने लग गया। प्रार्थी का उदेश्य हर प्रकार से अप्रार्थी सं.–1 को हैरान परेशान करना है तथा इसी उदेश्य को लेकर उसने यह झूठा व तथ्यहीन दावा श्रीमान् न्यायालय में पेश किया है। प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं.–1 के पक्ष में बनता है अतएव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावें। खर्चा जवाबदेही दिलाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 की तरफ से अधिवक्ता श्री पवन कुमार चुघ ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 5 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–13 पत्थर सं.–120/27 का किला नम्बर 1/2 का 0.227, 02ता09 प्रत्येक सालम, 10/2 का 0.227, 11/2 का 0.228, 12ता19 प्रत्येक सालम, 20/2 का 0.228, 21/3 का 0.177, 22/2 का 0.202, 23/2 का 0.202, 24/2 का 0.203, 25/2 का 0.203 हैक्टर कुल 5.945 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं.–1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण के पिता स्व. श्री चन्द भारतीय फौज में नायब सुबेदार युनिट नम्बर जेसी 50269 के पद पर तैनात था और सन् 1971–72 की भारत पाक युद्ध मे शहीद हो गये थे उसके उपरांत राजस्थान सरकार ने राजस्थान विकलांग सैनिक एवं वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को विशेष सहायता(भूमि आवंटन) नियम 1962 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के कार्यालय उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर के आदेश क्रमांक–यूनिट/बी16963 दिनांक 01.09.1972 से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23.08.1972 की अनुपालना मे राज. विकलांग सैनिक एवं मृतक प्रतिरक्षा कर्मचारियों के आश्रितों को विशेष सहायता(भूमि आवंटन नियम 1962) के अन्तर्गत हम अप्रार्थीगण के मृतक पिता स्व. श्रीचन्द के आश्रितों को यानि वादी एवं अप्रार्थी सं.–1ता4 की सहायतार्थ एवं भरण पोषण हेतु परिवार की कर्ता/मुखिया अप्रार्थी सं.–1 माता होने के कारण अप्रार्थी सं.–1 माता होने के कारण अप्रार्थी सं.–1 शांतिदेवी के नाम से आवंटित की गई है आवंटन

नियमों एवं आवंटन आदेश के तहत वादी एवं अप्रार्थी सं.–1ता4 उक्त विवादित भूमि में अप्रार्थी सं.–1 के साथ संयुक्त रूप से अधिकार एवं हित निहित रखते है उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं.–1 के साथ संयुक्त रूप से वादी एवं अप्रार्थी सं.–2ता4 बहिस्सा बराबर 1/5 हिस्सा के रूप में भूमि प्राप्त करने विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी सं.–1 द्वारा वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को भूमि आवंटन करवाने के लिए सक्षम आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया इस आवेदन पत्र के साथ हल्फनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी सं.–1 ने यह अंकित करवाया कि मैं वीरगति को प्राप्त सैनिक श्रीचन्द की पत्नी होकर जायज वारिस हूँ तथा इकरार करती हूँ कि मैं उक्त सैनिक के आश्रितों का भरण पोषण करती रहूँगी तत्पश्चात अप्रार्थी सं.1 को सरकार द्वारा वीरगति प्राप्त को प्राप्त स्व. श्रीचन्द के परिवार के भरण पोषण हेतु विवादित कृषि भूमि का आवंटन दिनांक 01.09.1972 का किया गया इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 को वीरगति में प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के रूप में परिवार का मुखिया होने के नाते पुख्ता आवंटित हुई है, जिसमें वादी का एवं अप्रार्थी सं.–2ता4 का अप्रार्थी सं.–1 के साथ आवंटन के रोज से ही हक व हिस्सा निहित है। हम अप्रार्थीगण भी उक्त विवादित भूमि में अपने अधिकारों की घोषण करवाने व अपने हिस्सा की भूमि का पृथक से कब्जा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। अप्रार्थी सं.–1 जो कि वृद्धावस्था की और अग्रसर है जो कि अप्रार्थी सं.–2 के अत्यधिक प्रभाव व दवाब में है तथा जो अप्रार्थी सं.–1 की वृद्धावस्था का बेजा फायदा उठाकर व वादी व हम अप्रार्थीगण को उनके हक अधिकारों से वंचित करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से विवादित कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करवाने पर उतारू है और अप्रार्थी सं.–1 हम अप्रार्थीगण को भी उनका हिस्सा देने से इंकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि चक 5 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–13 पत्थर सं.–120/27 का किला नम्बर 1/2 का 0.227, 02ता09 प्रत्येक सालम, 10/2 का 0.227, 11/2 का 0.228, 12ता19 प्रत्येक सालम, 20/2 का 0.228, 21/3 का 0.177, 22/2 का 0.202, 23/2 का 0.202, 24/2 का 0.203, 25/2 का 0.203 हैक्टर कुल 5.945 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं.–01 के नाम दर्ज है। आयंदा उक्त कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र में विवादित कृषि भूमि कहा जायेगा। जमाबंदी की चित्रप्रति सलंग्न है। प्रार्थी का पिता स्व. श्री चन्द भारतीय फौज में नायब सुबेदार युनिट नम्बर जेसी 50269 के पद पर तैनात था और सन् 1971–72 की भारत पाक युद्ध में शहीद हो गये थे उसके उपरांत राजस्थान सरकार ने राजस्थान विकलांग सैनिक एवं वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को विशेष सहायता(भूमि आवंटन) नियम 1962 के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में प्रार्थी की माता अप्रार्थी सं–01 का शहीद श्री चन्द की पत्नी होने के नाते उपरोक्त कृषि भूमि दिनांक 01.09.1972 को आवंटन की गई थी।

विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं1 के नाम से वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के रूप में आवंटन शुदा कृषि भूमि है, जो कि वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के परिवार के भरण–पोषण के लिए शहीद की विधवा एवं परिवार की मुखियाकर्ता होने के नाते अप्रार्थी सं.–1 को आवंटन की गई थी। इस प्रकार उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी परिवार की कृषि भूमि है। जिसमे प्रार्थी का शुरू से हित निहित है। फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो रिकॉर्ड के तथ्य है अप्रार्थी सं.–1 उक्त कृषि भूमि की खातेदार कृषक है प्रश्नगत भूमि के संबंध में अप्रार्थी सं.–01 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त है इस धारा के अनुसार हिन्दू नारी को अपने कब्जा में की कोई भी सम्पति चाहे वह इस अधिनियम के प्रावधान से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर वारिस का कोई हक अधिकार प्रश्नगत भूमि में नहीं बनता है अप्रार्थी सं.–1 के किसी भी वारिस का कोई हक अधिकार प्रश्नगत भूमि में नही बनता है अप्रार्थी सं.–1 उक्त भूमि को अपने जीवनकाल में उपयोग, उपभोग,रहन बैय व हस्तांतरण करने की हर प्रकार की विधिक अधिकारी है। फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावें।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया।

धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :– यह स्वीकृत तथ्य है कि अप्रार्थी सं.–1 प्रार्थी की माता है। प्रार्थी का पिता स्व. श्री चन्द भारतीय फौज में नायब सुबेदार युनिट नम्बर जेसी 50269 के पद पर तैनात था और सन् 1971–72 की भारत पाक युद्ध में शहीद हो गये थे उसके उपरांत राजस्थान सरकार ने राजस्थान विकलांग सैनिक एवं वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को विशेष सहायता (भूमि आवंटन) नियम 1962 के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में प्रार्थी की माता अप्रार्थी सं–01 का शहीद श्री चन्द की पत्नी होने के नाते उपरोक्त कृषि भूमि दिनांक 01.09.1972 को आवंटन की गई थी। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थी सं.–1 के नाम से वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के रूप में आवंटन शुदा कृषि भूमि है, जो कि वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के परिवार के भरण–पोषण के लिए शहीद की विधवा एवं परिवार की मुखियाकर्ता होने के नाते अप्रार्थी सं.–1 को आवंटन की गई थी। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के पति एवं प्रार्थी के पिता स्व. श्रीचन्द के शहीद होने के उपरांत आवंटित होने के कारण प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

2. सुविधा का संतुलनः—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है, विवादित कृषि भूमि राजस्थान सरकार ने राजस्थान विकलांग सैनिक एवं वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को विशेष सहायता (भूमि आवंटन) नियम 1962 के अन्तर्गत राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र मे प्रार्थी की माता अप्रार्थी सं–01 का शहीद श्रीचन्द की पत्नी होने के नाते आवंटन की गई थी। अप्रार्थी सं.–1 के नाम से वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के रूप में आवंटन शुदा कृषि भूमि है, जो कि वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के परिवार के भरण–पोषण के लिए शहीद की विधवा एवं परिवार की मुखियाकर्ता होने के नाते अप्रार्थी सं.–1 को आवंटन की गई थी। ऐसी स्थिति में वाद के विचारण के दौरान यदि अप्रार्थी सं. –01 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है एवं मूल वाद का निर्णयन गुणावगुण पर सुनवाई पश्चात वादी के पक्ष में होता है तो न केवल प्रार्थी को असुविधा होगी वरन् भविष्य में लिटीगेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध होता है।

3. अपूर्णीय क्षतिः– जहाँ तक अपूर्णनीय क्षति का प्रश्न है विवादित कृषि भूमि शहीद की विधवा को परिवार के भरण पोषण हेतु आवंटित हुई थी। यदि अप्रार्थी सं.–01 के द्वारा प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा खुर्द बुर्द कर दिया जाता है तो परिवार के शेष सदस्यों एवं प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिससे प्रार्थी अपने सम्पति के अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर वाके चक 5 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–13 पत्थर सं.–120/27 का किला नम्बर 1/2 का 0.227, 02ता09 प्रत्येक सालम, 10/2 का 0.227, 11/2 का 0.228, 12ता19 प्रत्येक सालम, 20/2 का 0.228, 21/3 का 0.177, 22/2 का 0.202, 23/2 का 0.202, 24/2 का 0.203, 25/2 का 0.203 हैक्टर कुल 5.945 हैक्टर रकबा को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तांतरित न करें एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04/01/2021 को सरेआम सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़